रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 234] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 1973/आषाढ़ 8, 1895
No. 234] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 1973/ASADHA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

SURTAX

New Delhi, the 29th June 1973

S.O. 359(E).—In pursuance of clause (v) of rule 1 of the Second Schedule to the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby notifies the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, as a financial institution for the purposes of the said clause in respect of the assessment year commencing on and from the 1st day of April, 1973 and any subsequent assessment year.

[No. 396/147(3)/72-TPL.]

R. D. SHAH, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

अतिकर

नई दिल्ली, 29 जून 1973

का० आ० 359(अ).—कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की द्वितीय अनुसूची के नियम (1) के खण्ड (V) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को, 1 अप्रैल, 1973 को और उससे प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत, उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं० 396/147 (3)/72-टी०पी०एल०]

आर० डी० शाह, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973